संख्या- 6 /2018/आ0मि057/96-आयुष-2-2018-134/2017

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत एवं अवशेष धनराशि का उपयोग जनपद बरेली में 50 शैय्यायुक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनोदश संख्या- 4/2018/आ0मि054/96-आयुष-2-2018-134/ 2017 दिनांक 01/01/2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश का दिनांक 1 जनवरी, 2018 के स्थान पर 01 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश के प्रस्तर-3 में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के आधार पर ही निर्माण कार्य उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा किया जाएगा, के स्थान पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के आधार पर ही प्रश्नगत निर्माण कार्य उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन निगम लि0 लखनऊ द्वारा कराया जाएगा, पढा जायें। शासनादेश दिनांक 01-01-2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगे।

2- शासनादेश दिनांक 01 जनवरी, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित हुआ माना जाय।

भवदीय
(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

संख्या- 6/2018/आ0मि0-54/96-आयुष-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक,2- राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली।
3- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन, लखनऊ द्वारा मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ ।
7- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 वित्त् (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।